

कृषि महाविद्यालय, बायतु, बाड़मेर—344034 (कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)

COLLEGE OF AGRICULTURE, BAYTU, BARMER-344034 (AGRICULTURE UNIVERSITY, JODHPUR)

Prof. Ummed Singh
Dean

Phone: 9530490348/02982-294348 (O) E-mail: coabaytubarmer@gmail.com

Dated: 30 9 2 2

No. F. (01)/Acad-UG/COA/Baytu/2022/5

Walk-in-Interview for Guest Faculty

Applications are invited for Guest Faculty in Department of English for teaching "ENG-111 (1+1): Comprehension and communication skills in English" subject at College of Agriculture Baytu, Barmer. The Guest Faculty is purely temporary and for a period of one semester. The interested and eligible candidates are requested to read the general instructions and qualifications criteria of "Vidhya Sambal Yojana", Government of Rajasthan carefully before filling up the application and attending interview. The minimum eligibility (qualification) shall be as per ICAR/UGC regulations for appointment of teacher as guest faculty. The candidates seeking as Guest Faculty are required to appear in the walk-in-interview to be held on 06.10.2022 sharp at 11:00 AM at College of Agriculture, Baytu, Barmer (Rajasthan). Candidate must produce all the original documents in hard copy along with self-attested photocopies of marksheets, certificate/degree and other relevant certificates/documents required at the time of interview.

No TA/DA shall be paid to the candidates appearing for the interview.

The Dean, COA, Baytu, Barmer reserves all rights to withdraw notification without assigning any reason or prior notice.

(Ummed Singh)
Dean

Copy to the followings for information and necessary action:-

- 1. Registrar, Agriculture University, Jodhpur
- 2. Faculty Chairman (Agriculture), Agriculture University, Jodhpur
- 3. Comptroller, Agriculture University, Jodhpur
- 4. Ps to the Hon'ble Vice Chancellor, Agriculture University, Jodhpur
- 5. Nodal Office, website Agriculture University, Jodhpur /Mr. Krishna Gehlot, Programme Assistant (Computer) for uploading at website
- 6. Account Section, COA, Baytu, Barmer
- 7. Guard File

(K.C. Bairwa)
I/C Academic



कृषि महाविद्यालय, बायतु, बाड़मेर—344034 (कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)

COLLEGE OF AGRICULTURE, BAYTU, BARMER-344034 (AGRICULTURE UNIVERSITY, JODHPUR)

Essential Qualifications: -

- > A minimum of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever a grading system is followed) will be required at the mater's level degree in the relevant subject from the recognized University.
- Besides fulfilling the above qualification, the candidate must have cleared the eligibility test viz; National Eligibility Test (NET)/SLET/SET whichever is applicable and conducted by the UGC/CSIR/ASRB/NTA/RPSC or concerned institution/organization in the concerned or relevant subject.
- For the candidate having Master's degree, along with eligibility test like NET/SLET/SET shall remain compulsory along with one publication in NAAS/UGC rated referred journal for selection of Guest Faculty in the disciplines in which eligibility test viz; NET/SLET/SET is conducted. Essentiality of eligibility test viz; NET/SLET/SET can be waved off for the candidates holding Ph.D. degree provided it has been done with course work as prescribed by the UGC regulations-2009, and the candidate has at least two full length publication having NAAS/UGC rating/referred, on the date of submission of application.
- > Those candidates who awarded Ph.D. degree without course work will not be qualified for NET/SLET/SET exemption.

Desirable:

> Ph.D. degree in the relevant subject.

Age:

> A candidate who has completed 21 year age at the time of applying is eligible for appointing guest faculty in the college.

Selection Procedure: -

- > The selection committee will prepare merit list as per marks obtained in the Score Card and services of persons may be taken on merit basis as per availability. The selection committee will prepare panel of 3 to 5 applicants on each vacant post.
- > Preference will be given to retired and experienced faculty
- An affidavit will be produced by the applicant at the time of joining as Guest Faculty (as per Finance (General Finance & Acctts Rules), Government of Rajasthan Circular No. प.6(2)वित्त / साविलेनि / 2021, दिनांक 30.03.2021)
- > Guest faculty arrangement will be automatically terminated when Course of the concerned subject is completed or vacancy filled by regular recruitment/appointment.

General Instructions:

1. Separate application form is required for each subject

- 2. The application form received after the stipulated date will not be entertained.
- 3. No TA/DA shall be paid for attending interview.
- 4. Self-attested copies of marksheet, other essential certificates must be enclosed with the application form.
- 5. Incomplete application form will be rejected without any prior notice.
- 6. No Objection Certificate (NOC) from their employer will be required, if in employment and permissible by their parent institute/college/university.
- 7. An affidavit is to be produced at the time of joining as Guest Faculty.

Dean 1

(Ummed Singh)



COLLEGE OF AGRICULTURE, BAYTU, BARMER-344034 (AGRICULTURE UNIVERSITY, JODHPUR)

Application Form for Guest Faculty

Latest
Passport
Size
Photograph
& Signature

Application for Guest Faculty in the discipline/subject						
Notification No						
••••	Dated: (as per Notification)					
1.	Name	:				
2.	Father's Name	:				
3.	Date of Birth	:				
4.	Caste/Category	:				
5.	Corresponding Address with Pin code	:				
6.	Email ID	:				
7.	Mobile No. (Self)	:				

			T	1			7
	Certificate/documents	Euci No.					
Academic Achievements	Marks						
	Division/G						
	Year of						
	S. No. Examination/ Board/University Subject/Specialization Degree						
	Board/University						
Academic Ac	Examination/ Degree						
∞	S. No.	I	Π	III	IV	>	≥

Date:	Name:	
Place:	Signature:	
hereby declare that true to the best of information is found application/candidat as a guest faculty will basis/hourly basis. produce/request any	the information given by f my knowledge and be d false/doubtful before/acure may be treated as call be purely on temporarily. I solemnly declare y kind of document for are work for continuation	me in this form is elief. In case any after selection, my ncelled. My service y contractual/need that I will not the legal purpose
<u>Declaratio</u>	on to be signed by the Ca	<u>ındidate</u>
10. Teaching experie a recognized univ	ence of UG/PG/Ph.D. degreersity (in years) attach pro	ree programmes in oof
d.		
c.		
b.		,
a.		* or ju
9. Publications (Rese a separate sheet (if	earch paper only in referre f required).	ed journals, attach

राजस्थान सरकार शिक्षा–विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपूर

क्रमांकः एफा()विद्या सम्बल/ आकाशि /गे.फै./दिशा निर्देश /21/81

दिनांक:

14/7/22

प्राचार्य / नोडल अधिकारी, समस्त राजकीय महाविद्यालय

> विषय:-विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत अध्यापन कार्य हेतु गैस्ट फैकल्टी आमंत्रित करने हेतु। संदर्भ:-वित्त विभाग के परिपन्न क्रमांक प.6(2) वित्त / सा.वि.ले.नि. / 2021 दिनांक 30.03.2021

महोदय

वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र के कम में लेख है कि विद्या संबंल योजना शैक्षणिक संस्थानों में अध्यापन कार्य हेतु विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों से स्वीकृत पदों में रिक्त पदों पर आवश्यकतानुसार गैस्ट फैंकल्टी के रूप में कार्य लेने की (Enabling Scheme) योजना है। इस योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष शैक्षिक सन्न आरंभ होने से पूर्व स्वीकृत पदों की सीमा के अन्तर्गत रिक्त पदों की सीमा तक कक्षा विशेष विषय विशेष में enrolment की संख्या को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार आंकलन करते हुये तथा स्वीकृत पदों की सीमा तक आवश्यकतानुसार विद्या संबंल योजना में दी गई प्रक्रिया का पूर्ण पालना करते हुए ऐसे महाविद्यालय जो वर्ष 2019, 2020,2021 तथा 2022 में नवीन सृजित हुए है या ऐसे महाविद्यालय जिनमें विषय विशेष के स्वीकृत पदों में से 60 प्रतिशत पद रिक्त है में गेस्ट फैंकल्टी से अध्यापन कार्य करवाने के संबंध में दिशा निदेश निम्नानुसार होंगे—

- 1 विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा ''विद्या संबल योजना' के अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ तथा अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी आमन्त्रित कर अध्यापन कराने हेतु वित्त विभाग के परिपन्न कमांक प.6(2) वित्त सा.वि.ले.नि. / 2021 दिनांक 30.03. 2021 में दिये गये दिशा निर्देशों के कम में गेस्ट फैकल्टी के द्वारा अध्यापन व्यवस्था वित्त विभाग द्वारा जारी उपर्युक्त वर्णित परिपन्न के बिंदु संख्या 4 (क) में वर्णित स्तर से परिपन्न के बिंदु संख्या 5 में वर्णित देय मानदेय पर बजट की उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन की जा सकेगी।
- 2 ऐसे महाविद्यालय जिनमें विषय विशेष के स्वीकृत पदों में से 60 प्रतिशत पद रिक्त है में अध्यापन गेरट फैंकल्टी के माध्यम से करवाया जा सकेगा।
- 3. वर्ष 2019, 2020, 2021 एवं 2022 में नवसृजित महाविद्यालयों में गैस्ट फैकल्टी की व्यवस्था नोडल महाविद्यालयों द्वारा की जायेगी।
- 4. वर्तमान में प्रभावी महाविद्यालय शिक्षा नियम 1986 में सहायक आचार्य के पद हेतु वर्णित शैक्षणिक योग्यतायें पूर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन करते समय 21 वर्ष की आयु पूर्ण करते हो को ही गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आमंत्रित किया जायें।
- 5. स्थानान्तरण / नवीन नियुक्ति द्वारा रिक्त पद के भरे जाने पर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा किसी विषय में एक से अधिक शिक्षक के होनें पर आमंत्रित शिक्षकों को आमंत्रित करने हेतु बनायी गयी वरीयता सूची में सबसे नीचे स्थान वाले शिक्षक को सबसे पहले मुक्त किया जायेगा।
- 6. विशेष परिस्थितियों में किसी महाविद्यालय को विषय विशेष में अध्यापन व्यवस्था हेतु विद्या संबंल योजना में गेस्ट फैंकल्टी की आवश्यकता होने पर आयुक्तालय से गेस्ट फैंकल्टी की अनुमति हेतु मांग

की जा सकेगी। महाविद्यालय द्वारा मांग प्राप्त होने पर सक्षम स्तर से निर्णय लेकर गेस्ट फैकल्टी

7. गेस्ट फैकल्टी पर आमंत्रित शिक्षक केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य ही करवायेंगे, इन्हें कोई प्रशासनिक कार्य नहीं सौंपा जाना है।

यह दिशा निर्देश मात्र शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु ही है।

9. गत वर्ष विद्या संबंल योजना के अन्तर्गत अध्यापन करवाने वाली ऐसी गैस्ट फैकल्टी जिन के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्देश प्रदान करते हुये आदेशित किया है कि :-

" In the meanwhile respondants shall not engage any one else in place of the petitioners in 'Vidhya Sambal Yojna'", माननीय न्यायालय के अंतरिम आदेश के प्रभावी रहने तक माननीय न्यायालय के आदेश की पालना सुनिष्चित की जानी है।

10 विद्या संबल योजना के अन्तर्गत पैनल तैयार करने हेतु पी.एच.डी. उपाधिधारकों के संबंध में निम्न प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जानी है:-

दिनांक 11.07.2009 से पूर्व एम.फिल/ पी.एच.डी हेतु पाठ्यकमो के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली डिग्री, संबंधित संस्थानों के तत्कालीन अध्यादेश / उपबंधो / विनियमों के द्वारा अभिशासित होगी और पी.एच.डी डिग्रीधारक अभ्यर्थियों को निम्नवत् शर्तो को पूरा करने के अध्याधीन महाविद्यालयों में सहायक आचार्य पद भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लेट/सेट न्यूनतम पात्रता शर्ती की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी:-

- (a) अभ्यर्थी को केवल नियमित पद्धति से पी.एच.डी प्रदान की गई हो,
- (b) कम से कम दो बाहरी परीक्षकों द्वारा शोध प्रंबंध का मूल्यांकन किया गया हो।
- (c) अभ्यर्थीका मुक्त मौखिक पीरक्षा आयोजित की गई हो।
- (d) अभ्यर्थी ने अपने पी.एच.डी शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किये है जिनमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित जर्नल पत्रिका में प्रकाशित हुये हो।
- (e) अभ्यर्थी ने अपने पी.एच.डी शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों / सम्मेलनों में प्रस्तुत किये हो।

उपरोक्त (a) से लेकर (e) तक कुलपित / संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्यो / संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण)) द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

11. विद्या संबंल योजना हेतु पैनल बनाने के लिये स्थानीय स्तर पर संक्षिप्त विज्ञप्ति, प्रेस नोट एवं सार्वजनिक स्थानों पर सूचना चस्पा करनी है, तथा महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर विस्तृत दिशा निर्देश देकर आवेदन आमंत्रित करने हैं। यदि पैनल बनाने हेतु पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते है तो पुनः विज्ञापन देने से पूर्व नोडल / जिला स्तरीय महाविद्यालयों में प्राप्त आवेदन मंगवाकर विद्या संबंल का पैनल तैयार किया जाना है।

12. गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने हेतु दिशा निर्देश :-

- (A) वित्त विभाग के परिपन्न के बिंदु संख्या 4 (क) में वर्णित संस्था प्रधान, महाविद्यालय में रिक्त चल रहे पदों के आधार पर आवश्यकता का आंकलन करें। शैक्षणिक सन्न के आरम्भ होने से पूर्व सार्वजनिक सूचना प्रसारित कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से संस्थावर आवेदन आमंत्रित किये जानें है।
- (B) आवेदन पत्रों की जांच महाविद्यालयों स्तर/नोडल महाविद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा आयुक्तालय द्वारा पात्रता के लिये निर्धारित एवं संसूचित दिशा निर्देश/शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर परीक्षण कर पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची के आधार पर पैनल तैयार किया जावें।
- (C) प्रत्येक संस्था हेतु योग्य अभ्यर्थियों का विषयवार पैनल तैयार किया जायें, एवं प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध यथासंभव न्यूनतम 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जायेगा।
- (D) यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सत्र के लिये है तथा भविष्य में इस व्यवस्था के आधार पर नियमित नियुक्ति हेतु दावा नहीं किया जा सकेगा।
- (E) इस योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी पर रखे जाने वाले अभ्यर्थियों से निर्धारित शपथ पत्र (परिपत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र) भरवाकर लिया जायेगा।
- (F) गेस्ट फैकल्टी के कार्य का संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर ही प्रतिमाह भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- (G) किसी महाविद्यालय में किसी विषय विशेष हेतु यदि कोई भी पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर DRAC प्राचार्य जिले के महाविद्यालयों के तैयार पैनल में से शेष रहें अभ्यार्थियों में से वरीयता कम में महाविद्यालय में अध्यापन व्यवस्था हेतु कालांश आधारित गेस्ट फैकल्टी का आवंटन अपने स्तर से किया जाकर इसकी सूचना आयुक्तालय प्रेषित करें।
- 13. पैनल का अनुमोदन पूर्व की भांति संयुक्त निदेशक एच.आर.डी. की ई-मेल से ही किया जायेगा।
- 14. विभाग द्वारा विद्या संबंल हेतु गत वर्ष प्रदान शेष निर्देश पूर्ववत रहेंगे।

आयुक्त कॉलेज शिक्षा, रीजस्थान, जयपुर

संलग्न :-

- 1. वित्त विभाग का परिपत्र कमांक प.6(2) वित्त / सा.वि.ले.नि. / 2021 दिनांक 30.03.2021
- 2. गैस्ट फैकल्टी से लिया जाने वाला शपथ पत्र।
- 3. पैनल तैयार करने हेतु वरीयता के मानदण्ड।
- 4. महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियम 1986 कि संबंधित नियमों की प्रति।
- 5. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सैल कृपया अपलोड करें।

संयुक्त निदेशक

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपर



राजस्थान सरकार वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग



क्रमांक : प.6(2)वित्त / साविलेनि / 2021

जयपुर, दिनांक : 30-03-202/

परिपत्र

विषय : विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों—विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा—निर्देश एवं प्रक्रिया।

विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों / प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए 'विद्या संबल योजना'' लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं:-

- 1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्क अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।
 - इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।
- 2. गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।
- 3. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक / निजी अभ्यार्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।
- 4. गैस्ट फैकल्टी / चयन प्रक्रिया :
 - (क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक / निजी अभ्यर्थियों का परिपन्न में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन गैस्ट फैकल्टी रख सकेंगे।

अथवा

(ख) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से :

- I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।
- II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार—संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।
- II. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।
- गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

विद्यालय / प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक / प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड-।।।	1 से 8	300/-	21000/-
ग्रेड-।।	9 से 10	350/-	25000 / -
ग्रेड-।	11 से 12	400/-	30000/-
अनुदेशक	-	300/-	21000/-
प्रयोगशाला सहायक	-	300/-	21000/-

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज:

प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय	
_ m m m m m m m m m m m m m m m m m	45000 / -	
TABLE TO SECURE THE SECURITY OF THE SECURITY O	52000 / -	
	60000 / -	
	प्रति घंटा मानदेय 800 /- 1000 /- 1200 /-	

6. गैस्ट फैंकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ-पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

- गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक 7. कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
- रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।
- चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग कें लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु प्रेषित है:-

सचिव, राज्यपाल / प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री / विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण / राज्य

उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ

3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।

4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।

5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।

रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।

प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।

प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।

समस्त संयुक्त शासन सचिव / उप शासन सचिव / सचिवालय के समस्त अनुभाग / विभाग ।

10. समस्त विमागाध्यक्ष / जिला कलक्टर / संभागीय आयुक्त।

11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।

12. समस्त वित्तीय सलाहकार / मुख्य लेखाधिकारी ।

13. समस्त कोषाधिकारी ।

14. समस्त उपापन संस्थाएं।

15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

16. रक्षित पत्रावली।

संयक्त शासन सचिव

(GF&AR - 04/2021)

शपथ-पथ

	में श्री/श्रीमती/कुमारीपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
	विभाग (संस्थान का नाम) में दिनांक को
गेर	ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं/दे रही हूं।
1.	यह है कि मैंनेविभाग / संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।
2.	यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांकको अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3.	यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4.	यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू,पू,से. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5.	यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं

6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा / करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं / करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

करूंगा / करूंगी।

- 7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा / करूंगी ।
- 8. यह है कि मैं इस तथ्य से भिलभांति अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरूद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फेंकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।
- 9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।
- 10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
- 11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय—समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।
- 12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
- 13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
- 14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

में शपथपूर्वक बयान करता हूं / करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 1 में वर्णित तथ्य / सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भिलभाति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भिवष्य में कोई सूचना / तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो में स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता